परिवाद सं0 03 सन् 2023
विनय कुमार .....प्रति..... आशु त्यागी आदि

दिनांक 11.11.2024 परिवाद पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पूर्व में सुने जा चुके हैं। पत्रावली आज वास्ते आदेश नियत है।

परिवादी विनय कुमार ने परिवाद में कथन किया है कि '' प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी की विशाखा त्यागी से फेसबुक पर चैटिंग चल रही थी। विशाखा त्यागी ने अपने मोबाईल नम्बर 9719456214 से प्रार्थी के मोबाईल पर काफी मैसेज किये थे, जिसकी जानकारी होने पर विशाखा त्यागी के पति आशु त्यागी ने प्रार्थी को दिनांक 20.10.2017 को समय करीब 7.30 बजे मकबरा के पास भाजपा कार्यालय के सामने से आशु त्यागी ने अपने साथियो भरत यादव, मोनू तथा तीन–चार अन्य अज्ञात साथियो के साथ स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद नं0 यू0पी0 15 बी.जेड. 5870 व स्कूटी से सवार होकर प्रार्थी को उसकी मोटर साईकिल सं0 यू0पी0 15 बी.जे. 0158 को रोक कर मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से आशु त्यागी ने अपनी पिस्टल से डरा–धमका कर कार में जबरदस्ती डालकर जातिसूचक शब्द कहते हुऐ कि साले चमार चमटटे, आज तुझे जान से मार देंगें ,ले गये तथा थाना नौचन्दी परिसर में बने क्वार्टर में ले जाकर पिस्टल की बट से तथा लाठी डण्डो से बुरी तरह मारपीट कर गाली गलोज करते हुऐ गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा थाना पुलिस से साज करके उसके विरूद्ध एक झूठा मुकदमा अपराध संख्या 547/2017 धारा 354डी, भा0दं0सं0 दर्ज करा दिया। थाना पुलिस मेडिकल द्वारा प्रार्थी का न तो मेडिकल कराया और ना ही मुकदमा पंजीकृत किया। इस संबंध में एक शिकायती प्रार्थना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ एंव उच्चाधिकारियो को की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी ने स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को भेजे गये प्रा0 पत्र की छाया प्रति, चैटिंग की छाया प्रति, ,आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आदि प्रपत्रों की छाया प्रति दाखिल की हैं।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का बयान अंकित कराया , जिसमें उसने परिवाद में कहे गये कथनों का पूर्ण समर्थन किया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 में दिव्यपाल एंव विनित कुमार को परीक्षित कराया है। दिव्यपाल दिंनाक 20.10.2017 को समय करीब 7.30 बजे शाम मैं मकबरा के पास भाजपा कार्यालय के सामने खडा हुआ था, तभी स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद नं0 यू0पी0 15 बी.जेड0–5870 व स्कूटी से सवार होकर आशू त्यागी, भरत यादव व मोनू तथा तीन–चार अज्ञात व्यक्ति आये और विनय कुार जो मोटर साईकिल नं0 यू0पी0 15 बी.जे. 0158 पर सवार था, को रोक कर उसके साथ मारपीट करने लगेतथा उनमें से एक व्यक्ति ने पिस्टल से डरा धमका कर विनय कुमार को जरदस्ती कार में डालकर यह कहते हुऐ ले गये कि इस साले चमार चमटटे को आज जान से मार देंगें। यह घटना मेरे सामने हुई थी। मैं बयान देने पुलिस वालो के पास गया था, परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। साक्षी विनित कुमार ने अपने बयान में कथन किया है कि विशाखा त्यागी के पति आशू त्यागी पुत्र महेश चन्द्र त्यागी ने मेरे भाई विनय कुमार को दिंनाक 20.10.2017 को समय करीब 7.30 बजे शाम मकबरा के पास भाजपा कार्यालय के सामने से आशू त्यागी ने अपने साथियो भरत यादव जो कि पी.वी.एस.मॉल के पास एच0 ब्लाक में रॉक जिम के नाम से जिम चलाता है और मोनू जिसका मो0नं0 7678631842 है तथा तीन–चार अन्य अज्ञात साथियो के साथ स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद नं0 यू0पी0 15 बी.जेड0–5870 व स्कूटी से सवार होकर मेरे भाई विनय कुमार को उसकी मोटर साईकिल नं0 यू0पी0 15 बी.जे. 0158 को रोक कर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से आशू त्यागी ने अपनी सरकारी पिस्टल से डरा धमका कर कार में जरदस्ती डालकर जातिसूचक शब्द कहे कि इस चमार चमटटे साले चमार चमटटे को आज जान से मार देंगें और ले गये तथा थाना नौचन्दी परिसर मेस क्वार्टर में ले जाकर मेरे भाई विनय के साथ पिस्टल की बट से तथा लाठी डण्डो से बुरी तरह मारपीट कर गाली गलोज करते हुऐ गम्भीर रूप से घायल कर दिया। मेरे भाई का मेडिकल भी हुआ था।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद में उल्लिखित तथ्य व धारा 200 एंव 202 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत प्रस्तुत किये कथनों से अभियुक्तगण आशुत्यागी, भरत यादव एंव मोनू के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एंव धारा 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के विचारण हेतू आहूत किये जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण आशुत्यागी, भरत यादव एंव मोनू को धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एंव धारा 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के विचारण हेतू दिनांक 09.12.2024 के लिये तलब किया जाए। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर एक सप्ताह करें एंव सूची गवाहान पत्रावली पर दाखिल करें। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

विशेष न्यायाधीश, (एस.टी./एस.टी. एक्ट)
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.